

न्यायालय अति. कलक्टर एवं अति जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – राजीव द्विवेदी, RAS

अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 06/2025

Gcms reg. No. 2025/69

प्रार्थी :-

अप्रार्थी :-

पुलिस अधीक्षक,  
बांसवाड़ा

बनाम

श्री बिलाल पिता श्री अंसार मोहम्मद निवासी  
अंबावाडी, भागाकोट, थाना कोतवाली, जिला  
बांसवाड़ा


निर्णय

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा द्वारा गैर सायल श्री बिलाल पिता श्री अंसार मोहम्मद निवासी अंबावाडी, भागाकोट, थाना कोतवाली, जिला बांसवाड़ा के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत एक इस्तगासा प्रस्तुत कर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 03 के तहत कार्यवाही अमल में लाये जाने निवेदन किया।

पुलिस अधीक्षक, जिला बांसवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार निम्नांकित आधारों पर गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है :-

क्र.सं	प्रकरण संख्या कायमी दि.	जुर्म धारा	चालान नम्बर	न्यायालय निर्णय
1	246/14-08-2023	धारा 13 आर.पी.जी.ओ	158/2023	जुर्माना 100 रु.
2	271/06-09-2023	धारा 13 आर.पी.जी.ओ	193/2023	जुर्माना 100 रु.

श्री बिलाल पिता श्री अंसार मोहम्मद निवासी अंबावाडी, भागाकोट, थाना कोतवाली, जिला बांसवाड़ा को धारा 13 आर.पी.जी.ओ तहत कुल 2 प्रकरण में दोषसिद्ध ठहराया जाकर सजायाब हुआ है। जिसका उक्त कृत्य अपराध होने के साथ साथ एक सामाजिक बुराई है, जिसका समाज के लोगो एवं नवयुवको पर बुरा प्रभाव पडता है। उक्त व्यक्ति बदमाश प्रवृति का है।  बीच में इस व्यक्ति का निष्कासन किया जाना जरूरी है। अतः गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही करने निवेदन किया।


अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
बांसवाड़ा (राज.)

इस्तागासा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 20-01-2026 को अप्रार्थी गैरसायल उपस्थित रहा, गैरसायल की ओर से श्री प्रवीण सिंह सोलंकी अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र पेश हुआ।

दिनांक 13.04.2026 को अप्रार्थी गैरसायल ने उनके अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर जुर्म स्वीकरोक्ति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आरोपी द्वारा विगत कई वर्षों से जुएँ सट्टे का कार्य पूर्ण रूप से बन्द कर दिया है तथा मेहनत से रोजगार कर अपने परिवार का जिविकोपार्जन करता है। प्रकरण में कोई साक्ष्य परिविक्षा न करा कर स्वेच्छा से अपराध स्वीकार करना चाहता है। निवेदन किया कि प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध नरमी का रुख अपनाते हुए प्रकरण निस्तारित फरमावे।

अभियोजन अधिकारी ने कथन किया गया कि इस्तागासे के संलग्न दस्तावेजों के अनुसार गैरसायल पर जुआ अधिनियम में कुल 2 प्रकरण दर्ज होकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत करने पर बाद ट्रायल 2 प्रकरणों में दोष सिद्ध ठहराया जाकर सजायाब हुआ है। उक्त व्यक्ति बदमाश प्रवृत्ति का है, जो समाज में आमजन के लिये हानिकारक व घातक है। गैरसायल को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी अप्रार्थी/ गैरसायल सुनवाई के दौरान अनुपस्थित है। अतः गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही करने निवेदन किया।

हमने पत्रावली उसमें संलग्न अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। जिससे राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) तथा उसके अनुलग्न स्पष्टीकरण के अवलोकन से यह पुर्णतः स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को तभी "गुण्डा" कहा जा सकता है, जब राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) के खण्ड (i) से (viii) में संदर्भित अपराध प्रमाणित हो जाता है एवं उक्त प्रमाणित अपराध के कारण सक्षम न्यायालय द्वारा उसे सजा दी गई हो। पुलिस अधीक्षक बांसवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3, राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 विरुद्ध अप्रार्थी/ गैरसायल के भी 2 संज्ञेय अपराध किये जाने की सूचना अंकित है जिसमें गैरसायल सजायाब हुआ है। परिवाद में तत्सम्बन्धी आवश्यक साक्ष्य/ सबुत पेश किये हैं। अभियोजन अधिकारी द्वारा भी गैर सायल के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरणों में कार्यवाही किये जाने हेतु सिफारीश की गई है। पत्रावली में पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद है, अतः अन्य किसी साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती है।

  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
बांसवाड़ा (राज.)

चूंकि अप्रार्थी/ गैरसायल को उपर वर्णित धारा 13 आर.पी.जी.ओ के 2 प्रकरणों में अपराध प्रमाणित होने से सक्षम न्यायालय द्वारा सजा भी दी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी/ गैरसायल श्री अंसार मोहम्मद निवासी अंबावाडी, भागाकोट, थाना कोतवाली, जिला बांसवाडा को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) के अनुसार "गुण्डा" घोषित किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि -

1. श्री बिलाल पिता श्री अंसार मोहम्मद निवासी अंबावाडी, भागाकोट, थाना कोतवाली, जिला बांसवाडा की सीमा से 20 दिवस की अवधि के लिये निष्कासित किया जाता है। इस अवधि में पुलिस थाना सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.) अन्तर्गत क्षेत्र में रहने की स्वीकृति दी जाती है।
2. यदि गैरसायल के विरुद्ध कोई प्रकरण जिला बांसवाडा में स्थित किसी न्यायालय में चल रहा हो तो वह नियत पेशी पर उपस्थित हो सकेगा, परन्तु इसके पूर्व गैर सायल को संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देनी होगी।
3. अप्रार्थी/ गैर सायल को पाबंद किया जाता है कि निष्कासन की अवधि में पुलिस थाना सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.) में साप्ताहिक उपस्थिति देगा एवं बगैर उनको सूचित किये क्षेत्र नहीं छोड़ेगा और ना ही जिला बांसवाडा की सीमा में प्रवेश करेगा।
4. निष्कासन अवधि के दौरान कोई भी तीखा/ धारदार अस्त्र या आयुध, कोई भी मादक पदार्थ/ मदिरा, विस्फोटक या ज्वलनशील वस्तु उसके कब्जे में होना या उसके द्वारा उपयोग किया जाना निषेध रहेगा।
5. किसी विशिष्ट शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, मेला, हाटबाजार, सिनेमाघर या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल जैसे सार्वजनिक पार्क, रेस्टोरेंट, होटल अथवा किसी भी सरकारी भवन के समीप से विशिष्ट दूरी के भीतर उपस्थित नहीं हो सकेगा।

निर्णय आज दिनांक 17/04/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( राजीव द्विवेदी )  
अति. कलेक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट,  
बांसवाडा (राज.)